

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / काउं. / 2020-21 / 759

रायपुर, दिनांक **18 FEB 2021**

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में
सत्र 2020-21 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु
अंतिम काउंसिलिंग सूचना :-

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2020-21 में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली / राज्य शासन से प्राप्त मान्यता / अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2020 में सम्मिलित एवं पात्र तथा संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन / सूचना दिनांक 07.12.2020, 14.12.2020 एवं 28.01.2021 के अनुसार पंजीकृत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) अभ्यर्थियों को श्रेणी / संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका NEET (UG) 2020 की मेरिट सूची में प्राप्तांक / पर्सन्टाइल, श्रेणी / संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

समय-सारणी


दिनांक	श्रेणी / संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक / पर्सन्टाइल
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी			
22.02.2021 (सोमवार)	अनारक्षित	निल	546 से 113 तक (96.1934038 से 40.1140355 तक)
		दिव्यांग	366 से 127 तक (83.3423925 से 44.6194904 तक)
	अजजा	निल	408 से 90 तक (87.0587874 से 31.3683892 तक)
23.02.2021 (मंगलवार)	अजा	निल	447 से 89 तक (90.1000993 से 31.0242636 तक)
	अपिव	निल	542 से 87 तक (95.9905424 से 30.3122369 तक)
छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के)			
26.02.2021 (शुक्रवार)		प्रातः 10:00 से 12:00 तक	488 से 118 तक (92.8951683 से 41.7676523 तक)

- नोट :- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं एवं जिनके अंक उपरोक्तानुसार श्रेणी/संवर्गवार दर्शाए गए अंको के अंतर्गत हैं, वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।
- (2) किसी भी श्रेणी/संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से रिक्त रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कंडिका 4(6) के तहत परिवर्तित कर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. नीट (यू.जी.) 2020 परीक्षा का प्रवेश-पत्र।
2. नीट (यू.जी.) 2020 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।
7. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण-पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. दिव्यांगता संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
11. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
12. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
13. **शुल्क :-**
 - (1) काउंसिलिंग/चयन के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चंदखुरी, दुर्ग के प्रथम वर्ष का शुल्क **रु. 1,28,315/-**, श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारस नगर, नगपुरा जिला-दुर्ग के प्रथम वर्ष का शुल्क **रु. 62,129/-** संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा कर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है।
 - (2) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन/प्रवेश का अवसर खो देगा।

- नोट :- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।
- (2) अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट से चेक लिस्ट (Check list) डाउनलोड कर, उक्त चेक लिस्ट में सभी बिन्दुओं की जानकारी की पूर्ति कर उपस्थित हों।
- (3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर भी काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।
- (4) काउंसिलिंग में उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता/अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो गयी है।
- (5) आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका क्रमांक SLP(C) 14320/2018 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।
- (6) काउंसिलिंग की कार्यवाही केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 से बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए की जावेगी।
- (7) प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना जैसे कॉलेज की मान्यता, सीटों की अद्यतन जानकारी, इत्यादि हेतु नियमित रूप से निर्धारित वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।
- (8) सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।


संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़